न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–18/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/18

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
हरचन्द पुत्र सुरजन जी, जाति विश्नोई, उम्र वर्ष, निवास करवाडा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर, (राज)।		1. रतना पुत्र सुरजन जी, जाति विश्नोई, निवास करवाडा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर, 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रानीवाड़ा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 23.08.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा, जिला जालोर द्वारा प्रकरण सख्या 05/2022 में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कुन्दन चौहान, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, सुनील कुमार जैन, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांक:– 9.12.2024

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा के प्रकरण संख्या 05/2022 बअनवान हरचंद बनाम रतना वगैरा में निर्णय दिनांक 23.08.2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

9/12/2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाधीन आदेश विधान संचिका अभिलेख न्याय एंव कानून के विपरित तथा मनमाना होने के कारण निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित हैं।

रेस्पोडेंट सख्या 1 अधिनरथ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजरथान भू राजरव अधिनियम का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा करवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा में खातेदारी आराजी खसरा न. 1857/639 0.90 हैक्टेयर, खसरा न. 1860/538 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा न. 535 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा न. 536 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा न. 537 रकबा 0.05 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई हैं, जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी / रेस्पोडेंट सख्या 1 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी / रेस्पोडेंट सख्या 1 की उक्त आराजी खसरा न. 1860/538, 535, 536 के पश्चिम दिशा में अपीलान्ट की खातेदारी आराजी खसरा न. 1861/538 रकबा 1.73 हैक्टेयर आई हुई हैं। उक्त आराजी खसरा न. 1860/538, 535, 536 व अपीलान्ट के खसरा सख्या 1861/538 के बीच की सीमा का सीमांकन का स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडढी करवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेंट सख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि की पेमाईश हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया कि सरहद करवाडा पटवार हल्का करवाडा के खसरा सख्या 1860/538 रकबा 1.61 व खसरा सख्या 1861/538 रकबा 1.73 हेक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गडडी हेतु एक कमेटी का गठन कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो विधि विरूद्ध तथा न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

वर्तमान में राजस्व रेकर्ड के अनुसार रेस्पोडेंट सख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा न. 1857/639, 1860/538 535, 536 537 सरहद मौजा करवाडा में आए हुए है। रेस्पोडेंट सख्या 1 के खेत खसरा नंबर 1860/538 535, 536 के पडौस में अपीलान्ट का खेत खसरा नंबर 1861/538 आया हुआ हैं। इसी प्रकार रेस्पोडेंट सख्या 1 के अन्य खेत खसरा नंबर 1857/639 के पड़ोस में अपीलान्ट का खेत खसरा नंबर 1858/639 भी आया हुआ है। रेस्पोडेंट सख्या 1 ने विवाद पैदा करने के लिए हल्का पटवारी से पैमाइश करवाने हेतु दरखास्त पेश की थी एवं मौके पर पटवारी के आने पर स्वयं ने विवाद पैदा किया, जिससे पैमाइश नहीं हो सकी। दरहकीकत रेस्पोडेंट सख्या 1 एवं अपीलान्ट सगे भाई है। उपरोक्त तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर न कर भंयकर कानूनी भूल की हैं। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित हैं।

रेस्पोडेंट सख्या 1 ने एक दावा बाबत बटवाडा का माननीय सहायक कलेक्टर 5 रानीवाडा की अदालत में पेश किया, जो राजस्व मुल वाद संख्या 08/2018 है। उक्त घटवाडा दावा पेश होने से 35 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से उपजाउ च अनुपजाउ उनकी कीमत के मध्यनजर खसरा नंबर 639, 538 व अन्य भुमि का बटवाडा किया गया एवं उस बटवाडे के अनुसार खसरा नंबर 538, 639 के बीच माठ व पेड़ उगाकर अलग–अलग बट किए गये थे, जो पेड वर्तमान मे बड़े–बड़े हो गए हैं। माठ पर गहरी झाड़ी हो गई है। अदालत श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय रानीवाडा ने दोनों पक्षों की सहमति से एक प्राथमिक डिकी जारी कर मौके पर स्थित पूर्व बंटवाडे की स्थिति के अनुसार खसरा नंबर 538 व 639 का नक्शा मय

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नाप पेश करने का आदेश जारी किया। तहसीलदार ने पुराने बटवाडे की स्थिति को बताते हुए बटवाड़ा करने पर प्रस्ताव पेश करना बताया, जिस पर अप्रार्थी ने अपनी सहमति दी परन्तु अब अप्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि तहसीलदार ने खसरा नंबर 538 में 35 वर्ष पूर्व किए बंटवाडे की माठ के अनुसार मौके पर खड़े पुराने पेड़ों के अनुसार प्रस्ताव पेश नहीं कर रेस्पोडेंट सख्या 1 के हक में धोखे से ज्यादा भूमि का नक्शा पेश किया। अपीलान्ट अनपढ़ होने से रेस्पोडेंट सख्या 1 व तहसीलदार की चाल को समझ नहीं सका। अब रेस्पोडेंट सख्या 1 उक्त धोखे से की गई तरमीम के आधार पर भूमि में पत्थर गढ़ी करवाकर अपीलान्ट के पुराने बंट में आई भूमि को लेना चाहता है जो विधि विरूद्ध हैं। उपरोक्त तथ्यों पर अधिनरथ न्यायालय ने घौर न कर भंयकर कानूनी भूल की हैं। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित हैं।

वादग्रस्त भुमि के उक्त खसरों में विधि अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा भी नहीं हुआ हैं। जब वादग्रस्त भुमि का विधि अनुसार बंटवाडा भी नही हुआ है तो पत्थरगढी करवाने का रेस्पोडेंटस सख्या 1 को कोई कानूनन अधिकार नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय ने घौर न कर भंयकर कानूनी भूल की हैं। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित हैं।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा, जिला जालोर के द्वारा प्रकरण सख्या 05/2022 बअनवान रतना बनाम हरचन्द व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे। अन्य उचित आदेश जो अपीलान्ट् के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

सरहद मौजा करवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1857/639 रकबा 0.90हे. खसरा नम्बर 1860/538 रकबा 1.61 हे., खसरा नम्बर 535 रकबा 0. 05हे., खसरा नम्बर 536 रकबा 0.01हे. खसरा नम्बर 537 रकबा 0. 05हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज हैं।

अप्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1860/538, 535, 536 के पश्चिम दिशा में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1861/538 रकबा 1.73हे. आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज हैं। उक्त अप्रार्थी 1 की आराजी खसरा नम्बर 1860/538,535,536 व प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1861/538 की सीमा को लेकर विवाद होने पर अप्रार्थी 1 द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के समक्ष उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा अपने आदेश कमांक 35 दिनांक 17.12.2021 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश हल्का पटवारी करवाड़ा को दिये गये। उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी करवाड़ा दिनांक 02.01.2022 को मौके पर पैमाईश करने गये परन्तु प्रार्थी ने उक्त विवादीत आराजी की पैमाईश नहीं करने दी। मौके पर पैमाईश विवादास्पद होने से पैमाईश कार्य नहीं हुआ तथा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के आदेश की पालना

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

9.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

नहीं की जा सकी तथा अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी का सीमांकन विवाद होने से नहीं किया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 1860/538,1857/639,535 536 व प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1861/538 के सीमा को लेकर विवाद होने से प्रार्थी हमेशा अप्रार्थी से विवाद करता रहता है। इसलिये अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1860/538,1857/639,535,536 व प्रार्थी की खातेदारी आराजी 1861/538 की पैमाईश कर अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1860/538,1857/639,535 536 व प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1861/538 के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी करवाने के अप्रार्थीगण अधिकारी है.।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि सरहद मौजा करवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1857/639 रकबा 0.90 हे. खसरा नम्बर 1860/538 रकवा 1.61 हे खसरा नम्बर 535 रकबा 0. 05 हे. खसरा नम्बर 536 रकबा 0.01हे, खसरा नम्बर 537 रकबा 0. 05हे. व प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1861/538 की पैमाईश कर अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1860/538,1857/639,535 536 व प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1861/538 के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी करने के आदेश फरमाये।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना कार्यवाही विधि न्याय के विरूद्ध की गई है। अप्रार्थी ने खेतो के बीच किसी प्रकार का कोई माठ सेढा नही होने का झूठा कथन करके नेखमबंदी का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। इस मामले में सीमाज्ञान की स्थिति को रेकर्ड पर लिये बिना आदेश पारित किया है। वकील रेस्पो. का कथन है कि अपीलाण्ट बदमाश व झगडालू प्रवृति के होने से व संख्या बल में अधिक होने से तथा राजनैतिक रूप से काफी प्रभावशाली होने से हर रोज रेस्पो. की माठ पर आकर माठ को नुकसान पहुचाते है एवं अवैध कब्जा करना चाहते है। निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

8. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा ने न तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में जवाब लिया तथा न ही विस्तृत जांच रिपोर्ट जैर अपील प्रकरण मे प्राप्त की गई एवं न ही सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार सुना गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच रिपोर्ट के निर्णय पारित कर दिया जिसको यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

9.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा के प्रकरण संख्या 05/2022 दिनांक 23.08.2022 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

1) धारा 111 व 128 एलआरएक्ट के प्रावधानो की पालना करते हुए, वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार, चितलवाना से मुस्तकिल बिन्दु कायम किया जाकर नक्शो में विवादित माठ (1860/538 व 1861/538 के मध्य की माठ) से मुस्तकिल स्थानो की दूरिया व मौके पर वास्तविक नाप की दूरियो को अंकित करवाकर मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

2) उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोना पक्षो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर सीमाज्ञान रिपोर्ट को अंतिमरूप देकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश जारी किये जावे। उक्त कार्यवाही 45 दिवस में पूर्ण करे । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

9.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

10. यह निर्णय आज दिनांक 9.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

9.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)